

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005

1. उद्देश्य

1.1 **नीतिपरक लक्ष्य:** राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य यह है कि भारत में विश्व स्तर का एक आधुनिक और दक्ष इस्पात उद्योग होना चाहिए जो विविधकृत इस्पात मांग को पूरा करे। इसलिए इस नीति का मुख्य बल न केवल लागत, गुणवत्ता और उत्पाद मिश्र के रूप में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करना है बल्कि दक्षता और उत्पादकता की वैश्विक पहचान बनाना भी है। इसके लिए स्वदेशी उत्पादन को वर्ष 2004-05 में 38 एमटी के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2019-2020 तक 100 मिलियन टन (एमटी) से भी अधिक करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि अनिवार्य है।

1.2 उपर्युक्त नीतिपरक लक्ष्य इस आधार पर औचित्यपूर्ण है कि विश्व में इस्पात की खपत जो वर्ष 2004 में 1000 एमटी थी, 3.0 प्रतिशत प्रति वर्ष¹ की दर से बढ़कर वर्ष 2015 में 1,395 एमटी तक पहुँच जाने की आशा है, जबकि गत 15 वर्षों में इसमें 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। विश्व इस्पात मांग में चीन की हिस्सेदारी प्रमुख बनी रहेगी। गत 15 वर्षों में भारत में इस्पात उत्पादन की घरेलू वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। इस्पात खपत की लगभग 1 आय लोच को देखते हुए भारत में 7.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की पूर्वानुमानित वृद्धि दर 7-8 प्रतिशत प्रति वर्ष की पूर्वानुमानित राष्ट्रीय आय वृद्धि दर की तुलना में काफी अच्छी है।

1.3 उत्पादन में आयात को जोड़कर और निर्यात को घटाकर इस्पात की खपत को ज्ञात किया जाता है और वर्ष 2004-05 में मौजूदा समीकरण $38+2-4=36$ एमटी है। तालिका 1 में 2019-20 के लिए खपत का समीकरण और उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत की अनुमानित चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दी गई है।

तालिका 1: इस्पात का उत्पादन, आयात, निर्यात और खपत

(मिलियन टन में)

	उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2019-20	110	6	26	90
2004-05	38	2	4	36
सीएजीआर*	7.3 प्रतिशत	7.1 प्रतिशत	13.3 प्रतिशत	6.9 प्रतिशत

नोट: * चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

1. वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स, स्टील सक्सेस स्ट्रेटेजीज, 25 जून, 2005

2. उद्योग ढांचा

2.1 भारत में लोहा और इस्पात उद्योग 3 श्रेणियों नामतः मुख्य उत्पादक, अन्य मुख्य उत्पादक तथा गौण उत्पादक के रूप में विभाजित है। मुख्य उत्पादकों और अन्य मुख्य उत्पादकों के पास 0.5 एमटी से अधिक संयंत्र क्षमताओं के साथ एकीकृत इस्पात उत्पादन सुविधा है और वे इस्पात के उत्पादन के लिए लौह अयस्क तथा कोयला/गैस का उपयोग करते हैं। वर्ष 2004-05 में मुख्य उत्पादकों नामतः सेल, टिस्को और आरआईएनएल की सम्मिलित क्षमता लगभग 19.3 एमटी थी और क्षमता उपयोग 104 प्रतिशत था। एस्सार, इस्पात और जेवीएसएल को शामिल करते हुए अन्य मुख्य उत्पादकों की क्षमता 6.4 एमटी थी तथा क्षमता उपयोग 97 प्रतिशत था। गौण क्षेत्र बिखरा हुआ है और इसमें निम्नलिखित शामिल है:

(क) लगभग उन 120 स्पंज लोहा उत्पादकों से बैकवार्ड लिंगेज जो लोह अयस्क और अकोककर कोयले का उपयोग करते हैं और उनकी क्षमता लगभग 13 एमटी है तथा इस्पात उत्पादकों के लिए फीडस्टाक उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2004-05 में क्षमता उपयोग 75 प्रतिशत था।

(ख) लगभग 650 लघु धमन भट्टियाँ, विद्युत चाप भट्टियाँ, प्रेरण भट्टियाँ और उर्जा अनुकूलन भट्टियाँ हैं जो इस्पात का उत्पादन करने के लिए लौह अयस्क, स्पंज लोहे और गलन स्त्रैम का उपयोग करती हैं। इनकी क्षमता लगभग 14.7 एमटी है और वर्ष 2004-05 में क्षमता उपयोग 58 प्रतिशत था।

(ग) लगभग 1200 री-रोलर्स के साथ फारवार्ड लिंगेज जो उपभोक्ता उपयोग के लिए सेमिज को परिसज्जित इस्पात उत्पादों के रूप में रोल करते हैं। ये लघु और मध्यम उद्यम हैं जिनकी सूचित क्षमता लगभग 15 एमटी है और वर्ष 2004-05 में क्षमता उपयोग 55 प्रतिशत था।

3. उद्योग की शक्ति, कमजोरी, अवसर और दबाव(एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

3.1 भारतीय इस्पात उद्योग में शक्ति, कमजोरी, अवसरों और दबावों का ब्योरा निम्न तालिका में दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति इन सभी से निपटने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा निर्धारित करेगी:

शक्ति	कमजोरी
1. लौह अयस्क और कोयले की उपलब्धता	1. अवैज्ञानिक खनन
2. कम मजदूरी दरें	2. कम उत्पादकता
3. अच्छी जनशक्ति की प्रचूरता	3. कोककर कोयले के आयात पर निर्भरता
4. विकसित उत्पादन आधार	4. कम अनुसंधान और विकास निवेश
	5. उच्च ऋण लागत
	6. अपर्याप्त अवसंरचना

अवसर	दबाव
1. अनन्वेषित ग्रामीण बाजार	1. चीन निवल निर्यातक के रूप में उभर रहा है
2. बढ़ती हुई घरेलू मांग	2. पश्चिम में एहतियातवाद
3. निर्यात	3. प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा डंपिंग
4. समेकन	

4. रणनीति

4.1 दीर्घकालिक नीतिलक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई जायेगी। मांग के संबंध में नीति प्रोत्साहक प्रयासों के माध्यम से वृद्धिशील मांग सृजित करना, जागरूकता पैदा करना और सुपुर्दगी श्रृंखला, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, को सुदृढ़ बनाना होगी। आपूर्ति के संबंध में नीति अतिरिक्त क्षमता सृजित करने, लौह अयस्क और कोयला जैसे आदानों की उपलब्धता में प्रक्रिया संबंधी तथा नीति विषयक कठिनाइयों को दूर करने, अनुसंधान एवं विकास तथा मानव संसाधन विकास में अधिक निवेश करने एवं सड़क, रेल और पत्तन जैसी अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना होगी।

5. इस्पात की मांग

5.1 शहरी क्षेत्र: वर्तमान में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति/वर्ष खपत लगभग 30 किग्रा है जबकि विश्व में यह 150 किग्रा तथा विकसित देशों² में 350 किग्रा है। देश में अनुमानित शहरी खपत लगभग 77 किग्रा प्रति व्यक्ति/वर्ष है जो वर्ष 2019-20 तक बढ़कर लगभग 165 किग्रा हो जाने की उम्मीद है जिसके लिए 5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) अनिवार्य है। अर्थव्यवस्था के निर्माण, आटोमोबाइल, तेल और गैस परिवहन और अवसंरचना के क्षेत्रों में प्रत्याशित वृद्धि के अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डवलपमेंट एण्ड ग्रोथ तथा बड़े उत्पादकों द्वारा वास्तुकारों, इंजीनियरों और विद्यार्थियों में इस्पात के उपयोग के सचेत प्रोत्साहन से यह अतिरिक्त खपत प्रेरित होगी। पुलों, क्रेन, बेरियर्स, फ्लाइ-ओवरों और भवन निर्माण में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएंगे। देश में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में इस्पात के उपयोग के लाभ जोड़े जायेंगे।

2. स्टीलस्टील इयर बुक 2004, इंटरनेशनल आयरन एण्ड स्टील इंस्टीट्यूट, ब्रुसल्स

5.2 *ग्रामीण क्षेत्र:* भारत में इस्पात की ग्रामीण खपत लगभग 2 किग्रा प्रति व्यक्ति/वर्ष ही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात को अधिक खर्चीला माना जाता है । उपर्युक्त वर्णित प्रोत्साहक प्रयासों तथा नये ब्लाक स्तरीय ग्रामीण स्टाक केन्द्र खोलने पर सक्रिय रूप से बल दिये जाने के आधार पर वर्ष 2019-20 तक इस्पात की ग्रामीण खपत को 4 किग्रा प्रति व्यक्ति/ वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके लिए 4.4 प्रतिशत सीएजीआर अनिवार्य है ।

5.3 *निर्यात:* यद्यपि भारतीय इस्पात उद्योग का ध्यान घरेलू बाजार पर है, फिर भी मांग के संबंध में निर्यात एक और रास्ता है । पिछले दशक में भारत से इस्पात के निर्यातों की वृद्धि दर लगभग 10 प्रतिशत प्रति वर्ष रही है। ऐसा, इस्पात क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण हुआ है। निर्यात बाजार सृजित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए श्रमशील प्रयास किए गए हैं। यद्यपि निर्यात करने संबंधी कारोबारी निर्णय प्रचलित संगत मूल्यों पर निर्भर करेगा, परन्तु सरकार वापस खरीद व्यवस्था के साथ अनुकूल सहयोगियों तथा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के माध्यम से समर्पित निर्यात उत्पादन को बढ़ावा देगी । वर्ष 2019-20 तक लगभग 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना की गई है । निर्यात से संबंधित मुद्दों पर व्यापार नीति संबंधी खण्ड 13 में चर्चा की गई है।

6. इस्पात की आपूर्ति

6.1 यद्यपि देश लोह अयस्क और अकोककर कोयले के मामले में सम्पन्न है और यहाँ सस्ता श्रम है, किन्तु यह लाभ निम्न सामग्री और उर्जा दक्षता, घटिया क्वालिटी, कम उत्पादकता और कोककर कोयले, विद्युत, भाड़ा और वित्त की उच्च लागत के कारण पूर्णतः निष्प्रभावी है । उद्योग को ये महत्वपूर्ण आदान उपलब्ध कराने से संबंधित नीति का उल्लेख अगले पैराग्राफों में किया गया है ।

6.2 *महत्वपूर्ण आदान:* वर्ष 2019-20 तक 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर 110 एमटी इस्पात उत्पादन में सहायता की दृष्टि से आवश्यक महत्वपूर्ण आदानों जैसे कि लोह अयस्क, कोककर व अकोककर कोयला की मात्रा नीचे तालिका 2 में दी गई है । पूर्वानुमानित आवश्यकताएं इस अवधारणा पर आधारित हैं कि नई क्षमताएं 60 प्रतिशत धमन भट्टी रूट, 33 प्रतिशत स्पंज लोहा-विद्युत चाप भट्टी रूट और 7 प्रतिशत अन्य रूट्स के माध्यम से होंगी ।

तालिका 2: इस्पात उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण आदान

(मिलियन टन में)

	लोह अयस्क	कोककर कोयला	अकोककर कोयला
2019-20	190	70	26
2004-05	54	27	13

6.2.1.1 लोह अयस्क: इस समय भारत में तुलनात्मक रूप से अच्छी किस्म के लोह अयस्क के स्व-स्थाने भंडार - 11.43 बिलियन टन हेमाटाइट और 10.68 बिलियन टन मैगनाइट अयस्क हैं । यद्यपि, हेमाटाइट अयस्क के भंडार बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, किन्तु उच्च श्रेणी के लम्बी (ढेलेदार) भंडार केवल 8.7 प्रतिशत हैं । इसके अलावा लोह अयस्क के लिए मौजूदा वाणिज्यिक खनन क्षमता केवल 175 एमटी³ है। वर्ष 2004-05 में लोह अयस्क का उत्पादन 145 एमटी था, जिसमें से 54 एमटी की घरेलू खपत हुई और 78 एमटी का निर्यात किया गया था। वर्ष 2003-04 में 600 खनन पट्टों में से केवल 246 को आपरेट किया गया था ।

6.2.1.2 वर्ष 2019-20 तक इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए 190 एमटी लोह अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार अतिरिक्त आधुनिक खनन और 200 एमटी सज्जीकरण क्षमता के सृजन में निवेश को प्रोत्साहन देगी । इन निवेशों का आकार लगभग 20,000 करोड़ रुपये होगा । निजी क्षेत्र के लिए निजी खनन पट्टों की चालू नीति जारी रहेगी किन्तु यह आवश्यक है कि निष्क्रिय खनन पट्टों के लिए निवेश योजनाएं बनाई जाएं। राज्य सरकारें एक निर्दिष्ट अवधि में विश्वसनीय खनन निवेश आयोजनाओं के प्रति ही मौजूदा पट्टों के नवीकरण की अनुशंसा करेंगी। सरकार उद्यमियों की खनन निवेश आयोजनाओं और तकनीकी एवं वित्तीय समर्थता को ध्यान में रखते हुए नए खनन पट्टों की सिफारिश करने के लिए राज्य सरकारों हेतु प्राथमिकताएं और दिशा-निर्देश निर्धारित करेगी । पर्यावरण एवं वन संबंधी मंजूरी एक पूर्व-निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान की जायेगी। यद्यपि, स्थानीय मूल्य वृद्धि को प्राथमिकता दी जायेगी, फिर भी सरकार लोह अयस्क की ट्रेडिंग को बढ़ावा देगी ताकि यह आवश्यक कच्ची सामग्री सम्पूर्ण देश में लोहा और इस्पात उद्योग को उपलब्ध कराई जा सके। सरकार लोह अयस्क फाइन्स की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निवेशों को प्रोत्साहित करेगी। वैज्ञानिक खनन और पैमाने की मितव्ययता को भी लघु उपभोक्ताओं के संघ के माध्यम से तथा खानों के लिए एक न्यूनतम मितव्ययी आकार निर्धारित करके प्रोत्साहित किया जायेगा।

6.2.2. लोह अयस्क के निर्यात: लगभग एक दशक (वर्ष 1991-92 से 1999-2000 के बीच) तक लगभग 35 एम टी पर अवरूद्ध रहने के पश्चात् भारत से लौह अयस्क का निर्यात, चीन को

3. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइनिंग इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) का अनुमान

बड़े पैमाने पर लौह अयस्क फाइन्स का निर्यात करने की वजह से पिछले 4 वर्षों में बढ़कर वर्ष 2004-05 में 78 एमटी हो गया है । फाइन्स और कन्सनट्रेट्स जिनका भारत में एक नकारात्मक पर्यावरणीय बाह्यता को छोड़कर बहुत ही कम उपयोग है, का निर्यात वर्तमान में भारतीय लौह अयस्क के निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत बैठता है । चूंकि देश में सज्जीकरण, सिन्टरिंग और पेलेटाइजेशन में निवेश किया जाता है जो इन फैन्स का उपयोग करेंगे, अतः लौह अयस्क के निर्यातों में कमी होने की आशा है । इस प्रकार वर्ष 2019-20 तक लगभग 100 एमटी निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है । भावी नीति के रूप में लौह अयस्क, विशेषकर उच्च श्रेणी के लम्प्स के निर्यातों को भारत में कोककर कोयले के आयातों या निवेश के लिए बढ़ाया जायेगा । लौह अयस्क की दीर्घकालिक निर्यात आपूर्ति अधिकतम 5वर्ष के अनुबंध तक सीमित रहेगी । इस अवधि की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी । लौह अयस्क के निर्यात और घरेलू आपूर्ति के बीच एक तर्कसंगत संतुलन कायम रखा जायेगा ।

6.2.3.1 कोककर कोयला: प्राइम कोककर कोयले के प्रमाणिक भंडार केवल 4.6 बिलियन टन हैं । भारतीय कोककर कोयले की क्वालिटी भी इस्पात के लिए उपयुक्त नहीं है । वर्ष 2001-02 में कोयले का उत्पादन 328 एमटी था, जिसमें से कोककर कोयले की मात्रा केवल 29 एमटी थी । इस्पात निर्माताओं द्वारा आवश्यक कम राखांश वाला कोककर कोयला वर्ष 2001-02 में लगभग 10 एमटी से भी कम था । वर्ष 2001-02⁴ को समाप्त दशक के दौरान कोककर कोयले के उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से कमी हुई है ।

6.2.3.2 घटिया क्वालिटी के घरेलू प्राइम कोककर कोयले को आयातित कोयले के साथ मिलाया जाता है । वर्तमान में इस्पात उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 19 एमटी कोककर कोयले का आयात करता है और 7.5 एमटी निजी खानों सहित स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त करता है । वर्ष 2019-20 तक लगभग 70 एमटी कोककर कोयले की आवश्यकता होगी जिसका 85 प्रतिशत आयात करना होगा ।

6.2.3.3 कोककर कोयले की सुरक्षा अत्यावश्यकताओं के लिए यह अपेक्षित है कि कोककर कोयले के नये स्रोत ढूँढे जायें । तदनुसार, सरकार का उद्देश्य कोयला क्षेत्र को बाजारोन्मुख बनाना होगा किन्तु इस बीच इस्पात संयंत्रों को निजी कोककर कोयला ब्लॉकों का आबंटन जारी रखा जायेगा और उनके फालतू संसाधनों की अन्य इस्पात संयंत्रों के साथ साझेदारी की व्यवस्था की जायेगी । सरकार इस्पात एवं कोयला कम्पनी द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों और साम्या सहभागिता को बढ़ावा देगी । इसके साथ ही ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित करने और अपनाने के प्रयास किए जाएंगे जिनका देश के प्राकृतिक संसाधन आधार (अकोककर कोयला) के साथ तालमेल हो । इस्पात उद्योग को कोयले की धणलाई और सज्जीकरण में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

4. इंडियन मिनरल इयर बुक, 2003, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स

6.2.4 अकोककर कोयला: भारत में 74 बिलियन टन के प्रमाणिक भंडार के साथ अकोककर कोयला कुल कोयला भंडार का लगभग 82 प्रतिशत है । वर्ष 2001-02 में अकोककर कोयले का 294 एमटी उत्पादन कोयले के कुल 328 एमटी उत्पादन का 91 प्रतिशत था । वर्ष 2004-05 में इस्पात क्षेत्र ने निजी विद्युत संयंत्रों के लिए थर्मल कोयले को छोड़कर लगभग 8 एमटी अकोककर कोयले की खपत की ।

6.2.5.1 स्पंज लोहा ग्रेड अकोककर कोयला: एक आदान सामग्री के रूप में अकोककर कोयले का उपयोग करने वाला स्पंज लोहा उद्योग भविष्य में कोक के लिए वैकल्पिक आदान के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा । स्पंज लोहा उद्योग की क्षमता जो इस समय 13 एमटी है 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2010-11 के अंत तक 20 एमटी हो जायेगी और तत्पश्चात् 2020 तक बढ़कर 38 एमटी हो जायेगी । वर्तमान प्रवृत्ति दर्शाती है कि उड़ीसा और झारखण्ड राज्यों में बड़ी संख्या में स्पंज लोहा आधारित ईकाइयां स्थापित होंगी । वर्ष 2019-20 तक इस्पात उद्योग उच्च ग्रेड ⁵ के लगभग 26 एमटी अकोककर कोयले की मांग करेगा ।

6.2.5.2 उपलब्ध ब्यौरा भारत में अकोककर कोयले के उत्पादन की वृद्धि दर में गिरावट दर्शाता है। 1980 के दशक में वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी जो 1990 के दशक में घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई । पिछले 5 वर्षों में वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत ⁶ रही है । इसलिए, विद्युत संयंत्र बड़ी मात्रा में थर्मल कोयले का आयात करने की योजना बना रहे हैं । इसके अलावा भारतीय कोयले में उच्च राखांश है जो अकोककर कोयला आधारित इस्पात उत्पादन को भी कुछ आयात करने के लिए विवश करेगा ।

6.2.5.3 यद्यपि बाजार शक्तियों द्वारा संसाधनों का आबंटन उनके अति दक्ष उपयोगों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए कोयला क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त किए जाने की आवश्यकता है, फिर भी इस संक्रमण अवधि के लिए एक नीति की आवश्यकता होगी । तदनुसार, स्पंज लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य फीड स्टॉक होने के नाते 12 प्रतिशत से कम राखांश वाले उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले के आबंटन में प्राथमिकता मिलेगी । अधिशेष कोयले की बिक्री, कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ मौजूदा अप्रयुक्त लिंकेज के पुनः आबंटन और लघु उपभोक्ताओं के संघ को आबंटन के रूप में अधिक उदारता शुरू की जायेगी। अपेक्षित निवेशों के वित्त पोषण के लिए निजी क्षेत्र के साथ सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं का पता लगाया जायेगा ।

5. वैकल्पिक रूट्स की आवश्यकताओं सहित तथा निजी विद्युत के लिए आवश्यकताओं को छोड़कर

6. इकनोमिक सर्वे 2004, वित्त मंत्रालय में उपलब्ध उत्पादन सांख्यिकी से परिकलित

6.2.6.1 *प्राकृतिक गैस*: इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण की पद्धति को धीरे-धीरे बाजार निर्धारित मूल्यों की ओर मोड़ने की आवश्यकता है । एक रेगुलेटरी फ्रेम-वर्क लागू करना भी वांछनीय होगा क्योंकि देश में प्राकृतिक गैस के भंडार सीमित हैं और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित किया जाना है । इसके अलावा इस उद्योग को मूल्य संबंधी झटकों के कारण खत्म हो चुके कारोबारी विश्वास को पुनः हासिल करने में समय लगेगा ।

6.2.6.2 गैस आधारित इस्पात संयंत्रों के (क) पर्यावरणात्मक स्वच्छता, (ख) अन्य प्रमुख रूट्स के लिए आवश्यक कोककर कोयले के अभाव, और (ग) स्पंज लोहा संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस एक हीटिंग स्रोत न होकर एक फीड-स्टोक होने के कारण महत्व को देखते हुए इस्पात क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन और मूल्य निर्धारण की वर्तमान पद्धति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहेगी ।

6.2.7 *रिफ्रेक्ट्रीज*: रिफ्रेक्ट्रीज का उपयोग इस्पात निर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उच्च ताप वाले वैसल्स के आस्तरण के लिए किया जाता है । भारत के रिफ्रेक्ट्रीज उद्योग में 80 इकाईयां है जिनकी क्षमता 1.6 एमटी है और वर्ष 2004-05 में इनका क्षमता उपयोग कुल 55 प्रतिशत था । इसके आधुनिकीकरण एवं उन्नयन की आवश्यकता है । सरकार इस्पात उद्योग और रिफ्रेक्ट्रीज उद्योग के बीच तकनीकी बातचीत में तेजी लायेगी ताकि ब्रेकडाऊन्स में कमी लाई जा सके, डाऊन टाइम में कमी लाई जा सके और अत्यावश्यक मरम्मत शीघ्र की जा सके । सरकार इस्पात और रिफ्रेक्ट्रीज उत्पादकों के बीच साझेदारी के माध्यम से स्वदेशी रिफ्रेक्ट्रीज कच्चे मालों के उपयोग में आधारभूत एवं व्यावहारिक अनुसंधान में भी सहायता करेगी ।

7. **अवसरंचना**

7.1 *आन्तरिक परिवहन*: यह अनुमान है कि इस्पात उत्पादन के प्रत्येक टन में 4 टन सामग्री का परिवहन किया जाता है । परिकल्पित अतिरिक्त 75 एमटी इस्पात प्रतिवर्ष के लिए 300 एमटी का अतिरिक्त यातायात अनिवार्य है। वैश्विक एकीकृत अर्थव्यवस्था में परिवहन की समग्र लागत में न्यूनीकरण, घरेलू एवं विदेशी, दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने के लिए आवश्यक है ।

7.2 निम्न तालिका 3 रेलवे और अन्य परिवहन साधनों के लिए सकल पूँजी संरचना (जीसीएफ) में वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्शाती है:

तालिका 3: परिवहन संबंधी अवसंरचना में जीसीएफ

(करोड़ ₹)

	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
रेलवे	5069	5019 (-0.99)	5307 (5.7)	5491 (3.5)	6981 (27.1)	8860 (26.9)	11609 (31.0)
अन्य साधनों द्वारा परिवहन	16460	18153 (10.3)	21272 (17.2)	25802 (21.3)	21117 (-18.2)	16476 (-22.0)	29872 (81.3)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वर्ष - दर - वर्ष अंतर को दर्शाते हैं ।

स्रोत: नेशनल एकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स-2004-05

7.3.1 रेलवे: रेलवे खानों एवं पत्तनों से संयंत्रों तक लोह अयस्क और कोयले की ढुलाई करता है और पत्तनों व उपभोक्ता क्षेत्रों तक इस्पात की ढुलाई करता है । तथापि, गत दशक से रेलवे इस्पात क्षेत्र में सड़क मार्ग की तुलना में रेलवे यातायात (ट्रैफिक) में निरन्तर कमी हो रही है। परिसज्जित इस्पात की ढुलाई में रेलवे का हिस्सा 1991-92 में 71.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2001-02 में घटकर 34.4 प्रतिशत रह गया है । यह गिरावट मुख्यतः सड़क, पाईपलाईन और तटीय नौवहन जैसे ढुलाई के अन्य साधनों से चुनौतियों का सामना करने में रेलवे की प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरी के कारण हुई है । कुछ हद तक "समीकृत रेलवे भाड़ा" के स्थान पर "भाड़ा अधिकतम सीमा" लागू करना भी इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है ।

7.3.2 कच्ची सामग्रियों और परिसज्जित/विक्रेय इस्पात की ढुलाई में रेलवे और सड़क की वर्तमान हिस्सेदारी के आधार पर वर्ष 2019-20 तक स्थिति निम्नानुसार प्रतीत होती है:

तालिका 4: ट्रैफिक का मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, 2004-05 और 2019-20

इस्पात क्षेत्र में रेलवे द्वारा किया जाने वाला अनुमानित ट्रैफिक (एमटी)				
	2004-05		2019-20	
	रेलवे	सड़क	रेलवे	सड़क
कच्चा माल*	80	34	230	100
परिसज्जित इस्पात	11	27	33	77
योग	91	61	263	177

* लोह अयस्क के निर्यात के कारण ट्रैफिक शामिल नहीं है ।

7.3.3 औसत दूरी जिसके आधार पर इस्पात निर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों और तैयार उत्पादों के लिए भाड़े का हिसाब लगाये जाने की आवश्यकता है, के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 तक लोहा और इस्पात उद्योग के लिए रेलवे को लगभग 120 बिलियन टन किलोमीटर रेलवे यातायात की व्यवस्था करनी होगी । लोह अयस्क के निर्यात सहित रेलवे के लिए कुल यातायात लगभग 150 बिलियन टन किलोमीटर होगा । तथापि, अगले दो दशकों में नये (ग्रीन फिल्ड)संयंत्रों तथा खानों की सही स्थान स्थिति पर निर्भर करते हुए इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है ।

7.3.4 इसलिए, ग्रीन फील्ड और ब्राऊन फील्ड, दोनों परियोजनाओं में अतिरिक्त इस्पात क्षमताओं के सृजन में रुचि रखने वाले नव निवेशकों को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार करने की आवश्यकता होगी। कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में रेलवे का परिव्यय 10.3 प्रतिशत (चौथी योजना) से घटकर 6.8 प्रतिशत (दसवीं योजना) रह गया है। संसाधन बाधाओं के कारण रेलवे अवसंरचना के सृजन, विशेषकर ट्रैक बिछाने तथा वैगनें प्राप्त करने के पूंजीगहन क्षेत्र में, इस्पात उद्योग द्वारा सहभागिता की आवश्यकता हो सकती है। उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा रेलवे द्वारा भाड़ा ढांचे की पुनः जाँच करने तथा सेवा में सुधार करने की भी आवश्यकता होगी। निजी क्षेत्र में समर्पित भाड़ा ट्रेनों को बढ़ावा दिया जायेगा।

7.4.1 **सड़क:** इसी प्रकार भारतीय उत्पादकों की लेनदेन (ट्रांजेक्सन) लागत में कटौती करने के लिए मौजूदा सड़क नेटवर्क का विस्तार और यथेष्ट सुदृढीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इस्पात संयंत्रों और खानों को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के चल रहे कार्यक्रमों तथा पूरे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की सुपुर्दगी श्रृंखला का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित ग्रामीण सड़क योजनाओं के साथ भी एकीकृत करने की आवश्यकता है।

7.4.2 हाल ही के वर्षों में पूरे भारत में सड़क मार्गों के निर्माण कार्य में आये उछाल के बावजूद भौगोलिक दृष्टि से देश में सड़क परिवहन कम रहा है। भारतीय सड़क क्षेत्र का निष्पादन प्रभावी परिवहन की निरन्तरता और तीव्रता की दृष्टि से खराब है। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि सड़कों के जरिए 85 प्रतिशत यात्रियों और 70 प्रतिशत भाड़े संबंधी परिवहन होता है और इस परिवहन में राजमार्गों द्वारा होने वाला परिवहन लगभग 40 प्रतिशत है, जबकि समग्र सड़क नेटवर्क में राजमार्ग केवल 2 प्रतिशत ही हैं। इस्पात उद्योग को उपलब्ध निकटतम राजमार्ग से जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कें बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किन्तु राजमार्ग नेटवर्क विस्तार का कार्य सरकारी और निजी भागीदारी के जरिए जारी रहेगा।

7.5.1 **पत्तन:** अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पश्चात् भारत का इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण आदान सामग्रियों जैसे कोयला और कोक तथा विक्रेय इस्पात के निर्यात के रूप में पत्तन अवसंरचना पर अत्यधिक निर्भर हो गया है। वर्ष 2019-20 तक इस्पात का 110 एमटी वार्षिक उत्पादन प्राप्त करने और 26 एमटी वार्षिक का निर्यात स्तर प्राप्त करने के इस नीतिपरक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पत्तन सुविधाओं में भी पर्याप्त विस्तार करना होगा। पत्तनों पर हैंडल किए जाने वाली अनुमानित सामग्री (बल्क) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

तालिका 5: पत्तन ट्रैफिक में वृद्धि, 2004-05 से 2019-20

	पत्तनों पर हैंडल की जाने वाली सामग्री (बल्क) (एमटी)						सीएजीआ र
	2004-05			2019-20			
	आयात	निर्यात	योग	आयात	निर्यात	योग	
कच्चा माल*	19.3	78	97.3	85	100	185	4.4%
इस्पात	2	4	6	6	26	32	11.8%
योग	21.3	82	103.3	91	126	217	5.1%

*लौह अयस्क सहित.

7.5.2 सरकार की वर्तमान नीति पत्तन विकास में निजी पूँजी की अनुमति देती है । इस्पात उत्पादकों को पत्तन तथा जहाज को ठहराने के स्थान (वर्थ) की सुविधाओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि उत्पादकता, टर्न अराउण्ड समय, बड़े जहाजों को हैंडल करने की क्षमता और दक्षता के अन्य प्रचालन संबंधी मानकों में सुधार किया जा सके ।

7.6 विद्युत: वर्ष 2019-20 तक इस्पात उद्योग के लिए विद्युत की अतिरिक्त आवश्यकता 7000 मेगावाट होगी जिसके लिए 24,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी । विद्युत अधिनियम 2003 और राष्ट्रीय विद्युत नीति निजी विद्युत उत्पादन करने तथा अधिशेष विद्युत की ट्रेडिंग की अनुमति देती है । इससे इस्पात उद्योग द्वारा निजी विद्युत संयंत्रों में निवेश की वृद्धि सुसाध्य होगी । इसके साथ ही सरकार इस उद्योग को और विशेषकर गौण क्षेत्र को विद्युत की विशिष्ट खपत में कमी लाने के लिये प्रोत्साहित करेगी ।

7.7.1 वित्तीय संसाधन: वर्ष 2019-20 तक 110 एमटी इस्पात उत्पादन के इस नीतिपरक लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से उद्योग को 230,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूँजी की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त, मौजूदा सुविधाओं के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए धन की आवश्यकता होगी तथापि वर्ष 2003-04 के अंत तक इस उद्योग को बैंकिंग क्षेत्र के बकाया अग्रिमों की राशि केवल 26,295 करोड़ रुपये थी । भारत में पूँजी की लागत उच्चतम है जैसाकि तालिका 6 में दर्शाया गया है:

तालिका 6: पूंजी की लागत (% वार्षिक)

जापान	यूएसए	जर्मनी	चीन	दक्षिण कोरिया	ब्राजील	भारत	विश्व
1.4	4.1	4.2	5-6	6	9.75	11	5

स्रोत: वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 2004

7.7.2 इतने अधिक संसाधन संघटित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऋण की सरल आगम को सुसाध्य बनाने तथा पूंजी की लागत को कम करने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधल्ल मानकों की आवधिक समीक्षा की जायेगी। इस्पात उन छः क्षेत्रों में से एक है जो "अवसंरचना" के लिए औद्योगिक उत्पादन की सूची में शामिल है किन्तु अवसंरचना परियोजनाओं को उपलब्ध भौतिक प्रोत्साहन इस्पात उद्योग को उपलब्ध नहीं है। अतः इस्पात उद्योग के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी।

8. इस्पात के मूल्य

8.1 वर्ष 1991-92 में एकीकृत संयंत्रों के लिए मूल्यों पर से नियंत्रण समाप्त करने के बाद इस्पात के घरेलू मूल्यों का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार मूल्य अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप होते हैं यद्यपि सामान्यतः कम होते हैं। उद्योग मन्दी के दौरान मूल्यों में गिरावट आती है और उछाल के दौरान इनमें वृद्धि होती है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ढांचे का यौक्तिकरण मुख्यतः भौतिक और राजस्व घाटे को कम करने पर लक्षित है किन्तु उपभोक्ता मूल्यों पर इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में लगभग 3000 इकाइयाँ हैं जो इस्पात और इस्पात उत्पादों का उत्पादन करती हैं जिनका विपणन अन्ततः उपभोक्ताओं के लिए 100,000 से भी अधिक ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। वितरण श्रृंखला का यह फैलाव मुख्य कारण रहा है कि इस्पात व्यापार में कभी भी कोई मूल्य नियंत्रण लागू नहीं रहा। सरकार ने एकाधिकारिक मूल्य निर्धारण की शिकायतों की जाँच करने के लिए हाल ही में एक कम्पीटीशन कमीशन की स्थापना की है।

8.2 स्टील फ्यूचर्स: इस्पात उद्योग की चक्रीय पद्धति मंदी के जोखिम के कारण नव निवेशों पर रोक लगाती है। माँग और आपूर्ति के बीच विसंगति से भी मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है जो हाल ही में देखा गया है। इस्पात के मूल्यों में लंबी अवधि तक अवरुद्धता और उसके बाद अचानक तेजी भी उपभोक्ताओं और अवसंरचना उद्योग को प्रभावित करती है। इसलिए फ्यूचर्स और डेरीवेटिव्स जैसे जोखिम निरोधक तंत्र का विकास करने के लिए विभिन्न स्टॉक होल्डर्स के प्रयासों में सहायता की जायेगी।

9. मानव संसाधन

9.1 वर्ष 2020 तक उत्पादकता में अनुमानित सुधार ⁷ को ध्यान में रखते हुए 110 एमटी के प्रत्याशित इस्पात उत्पादन के लिए 220,000 अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा इस्पात उद्योग में रोजगार के एक मानव वर्ष के सृजन से परिवहन, खनन, निर्माण, मशीनरी और इस्पात सज्जीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ इसका जुड़ाव होने के कारण अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त 3.5 मानव वर्ष का सृजन हो जाता है। वर्ष 2020 तक अनुमानित 110 एमटी के उत्पादन के चलते अर्थव्यवस्था में सृजित होने वाला कुल अतिरिक्त रोजगार लगभग 1 मिलियन होगा।

9.2 अपेक्षित मानव संसाधनों में कुशल और अर्धकुशल श्रमशक्ति अधिक होगी। यह चिंता का विषय है कि भारत में प्रति हजार जनसंख्या में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की उपलब्धता 7.05 है जबकि यह जापान में 113, यूके में 90, कोरिया में 53, ऑस्ट्रेलिया में 54 और जर्मनी में 85 है *8 इसके अलावा यह कार्य तकनीकी जनशक्ति में बढ़ोतरी करने तक सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी में बदलावों और वैश्वीकरण की जरूरतों के अनुरूप नई योग्यताएं एवं क्षमताएं प्रदान करने के लिए देश में तकनीकी और पेशेवर संस्थानों की भी जरूरत होगी। इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन मौजूदा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को एक संरक्षक संगठन के नियंत्रणाधीन किया जाएगा और इस संरक्षक संगठन में उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। इस संगठन के कार्यों में (क) विशेष रूप से गौण लघु इकाइयों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, (ख) विभिन्न उपयोगों के लिए इस्पात की उपलब्धता और उपयुक्तता के संबंध में जानकारी के प्रचार-प्रसार के जरिए इस्पात की खपत को बढ़ावा और (ग) इस उद्योग के महत्वपूर्ण प्राचलों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आदि शामिल होंगे।

10. प्रौद्योगिकियां, अनुसंधान एवं विकास

10.1 हालांकि प्रौद्योगिकी का चयन प्रौद्यो-आर्थिक घटकों के आधार पर उद्यमियों द्वारा किया जाएगा फिर भी सरकार उन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगी जो:

- देश के प्राकृतिक संसाधनों के साथ तालमेल रखती हों।
- महत्वपूर्ण औद्योगिक और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अपेक्षित उच्च गुणवत्ता वाले और विशेष इस्पात के उत्पादन में सहायक हों।

7. इस समय अंतर संयंत्र स्तर पर श्रम उत्पादकता में बड़े पैमाने पर अंतर है जो 70 टन प्रति मानव वर्ष से 600 टन प्रति मानव वर्ष तक है। पुराने और नए संयंत्रों को शामिल करते हुए 2020 तक 340 टन प्रति मानव वर्ष की औसत उत्पादकता का अनुमान लगाया गया है।

8. स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

- इस्पात विनिर्माण और खनन के विभिन्न चरणों में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं ।
- जिनसे संसाधनों का इ¹टतम उपयोग हो सके ।
- जिनसे इस्पात उद्योग का आधुनिकीकरण आसान हो ताकि उत्पादकता और दक्षता के वैश्विक मानक हासिल किए जा सकें ।
- जिनसे फ्रंट एंड तथा नीतिपरक इस्पात आधारित सामग्रियों का विकास हो सके ।

10.2 भारत में अनुसंधान एवं विकास पर किया जाने वाला व्यय न केवल कुल मिलाकर अपितु जीएनपी के प्रतिशत के स्तर में भी नगण्य अर्थात् 0.86 प्रतिशत रहा है । इसकी तुलना विकसित देशों के 2.5 प्रतिशत के औसत अनुपात से की जा सकती है *9 इस्पात उद्योग के मामले में कारोबार के प्रतिशत के स्तर में अनुसंधान एवं विकास पर व्यय का अनुपात केवल 0.26 प्रतिशत है *10

10.3 स्वदेशी अनुसंधान और विकास को कम तरजीह दिए जाने से उन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बढ़ातरी हुई है जो विकसित देशों की परिस्थितियों के अधिक अनुकूल हैं । उदाहरणतः कच्चे माल की संसाधन स्थिति के लिए उन प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाना अपेक्षित होता है जिनमें अधिक एल्यूमिनियम वाले भारतीय लौह अयस्क की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वदेशी कोककर कोयले और अकोककर कोयले का उपयोग किया जा सके। परंतु भारतीय परिस्थितियों में सुधार नहीं होने और उनके अनुकूल नहीं होने के परिणामस्वरूप कोककर कोयले का बड़े पैमाने पर आयात होता है और लोहे का उत्पादन कम होता है । अतः विशेष श्रेणियों के इस्पात हेतु विनिर्माण क्षमता सृजित करने, कोककर कोयले को प्रतिस्थापित करने, लौह अयस्क चूर्ण की गुणवत्ता बढ़ाने और उसे संचित करने, ग्रामीण ज़रूरतों के अनुसंधान नए उत्पाद विकसित करने, सामग्री और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, अपशिष्ट का उपयोग करने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए तेजी से अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयास किये जाएंगे । सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियां आंतरिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों का वित्त पोषण करने और बाह्य अनुसंधान को प्रायोजित करने के लिए आने वाले वर्षों में अनुसंधान एवं विकास व्यय में बढ़ोतरी करेंगे जिससे देश के बाहर निजी क्षेत्र के साथ आंतरिक सहयोग का ढांचा उपलब्ध हो जाएगा । बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने में सरकार के योगदान में बढ़ोतरी की जाएगी ।

9. हैंडबुक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड स्टैटिस्टिक्स, 2002, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय ।
10. प्रमुख इस्पात कंपनियों के लिए, सेल 0.36 प्रतिशत, वाइजेग 0.04 प्रतिशत, टिस्को 0.20 प्रतिशत

11. पर्यावरण संबंधी चिंताएं

11.1 इस्पात उद्योग में विभिन्न प्रचालनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए मौजूदा इस्पात संयंत्रों (स्पंज लोहा इकाइयों सहित) की पर्यावरण संबंधी जांच और जीवन चक्र आकलन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि संबंधित प्रक्रियाओं में होने वाले उत्सर्जन और बहिःस्राव में कमी, ठोस अपशिष्ट के सृजन में कमी और उसका बेहतर प्रबंधन तथा ऊर्जा एवं जल जैसे संसाधनों के संरक्षण में सुधार हो सके। इस्पात क्षेत्र में उच्चस्तरीय पर्यावरण संबंधी नि¹पादन के कुछ उदाहरण पहले से ही हैं। तथापि, पर्यावरण संबंधी नि¹पादन में और सुधार करने के लिए इस्पात क्षेत्र अन्य उद्योगों के प्रयासों में शामिल होगा। गौण इस्पात उत्पादकों द्वारा उन प्रक्रियाओं को अपनाने में उनकी मदद की जाएगी, जो पर्यावरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। यही नीति लौह अयस्क और कोयला खनन जैसे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े उद्योगों की मदद करने के लिए अपनाई जाएगी, जिसके तहत वैज्ञानिक खनन और खनिज प्रक्रमण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

12. गौण और लघु क्षेत्र

12.1 गौण क्षेत्र में बुनियादी तौर पर वे इस्पात उत्पादक शामिल हैं, जो एकीकृत नहीं हैं और तुलनात्मक स्तर से छोटे उत्पादक हैं। तथापि, प्रचालन के स्तर, उत्पाद मिश्र और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से विभिन्न इकाइयों के बीच बहुत अंतर हैं। गौण क्षेत्र रोजगार उपलब्ध करवाने, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इस्पात की स्थानीय मांग पूरी करने और छोटी मात्रा में आवश्यक विशेष उत्पादों की देश की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

12.2 सरकार राज्य लघु उद्योग निगमों के मौजूदा तंत्र के जरिए बड़े संयंत्रों से इन इकाइयों को उचित कीमत पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगी।

13. व्यापार नीति

13.1 **निर्यात:** वर्ष 2019-20 में अनुमान है कि देश में कुल उत्पादन का निर्यात अनुपात लगभग 25 प्रतिशत हो जाएगा, जो 2004-05 में 11 प्रतिशत था । इसकी तुलना वैश्विक उत्पादन में निर्यात के 30 प्रतिशत से की जा सकती है । सरकार निर्यात साख उपलब्ध करवाने, व्यापार संबंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराने और लेनदेन की लागतों में कमी करने के सभी प्रयासों में मदद करेगी । बहुपक्षीय बातचीत की धीमी प्रगति को देखते हुए सरकार निर्यात आधार का विस्तार करने के लिए क्षेत्रीय व्यापारिक करारों पर ध्यान केन्द्रित करेगी । परियोजना निर्यातों के जरिए इस्पात के अप्रत्यक्ष निर्यात सहित मूल्यवर्धित इस्पात और इस्पात उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

13.2 **आयात:** नियंत्रण समाप्त किए जाने के बाद आयात शुल्क दरों में उत्तरोत्तर रू से कमी की गई है । भारतीय इस्पात उद्योग विदेशी उत्पादकों के प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है । तथापि, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग को उन अनुचित व्यापार पद्धतियों से बचाया जाए । जो विशेषकर मंदी के दौरान आम हो गई हैं। अतः सरकार आयात पर निगरानी रखने और अन्य देशों में निर्यात संबंधी इमदाद का प्रबोधन करने के लिए तंत्र तैयार करेगी ।

14. निवेश को बढ़ावा और नीति का कार्यान्वयन

14.1 इस्पात उत्पादन, खासतौर से एकीकृत प्रक्रिया के जरिए इस्पात उत्पादन की प्रकृति को देखते हुए इस्पात क्षेत्र में निवेश के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अनेक मंजूरियां प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न स्तरों पर होने वाले विलंब से न केवल परियोजना की लागत बढ़ जाती है अपितु नए निवेश हतोत्साहित हो जाते हैं । अतः निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयुक्त नि¹पादन तंत्र विकसित किया जाएगा :

- बड़ी परियोजनाओं के लिए एक ही स्थान पर मंजूरी की सुविधा उपलब्ध करवाना और इसके बाद संबंधित मंत्रालयों द्वारा सांविधिक मंजूरियां ।
- चपटे और लंबे उत्पादों के विकास हेतु पृथक योजनाओं सहित वर्ष 2019-2020 तक 110 एमटी इस्पात उत्पादन के नीतिपरक लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना ।
- वैश्विक मानकों के अनुसूच प्रौद्योगिकीय और उत्पादकता सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना ।
- राष्ट्रीय इस्पात नीति के कार्यान्वयन का प्रबोधन करना ।
- अवसंरचनात्मक, प्रक्रियात्मक तथा संस्थागत अड़चनों को दूर करने और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करने के लिए समीक्षाएं करना ।
